न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

[illegible]

प्रकरण संख्या:—212 / 2023

[illegible], R.A.S.

दायर दिनांक:—22.09.2023

जीसीएमएस नं. 2023 / 462

इब्राहिम पुत्र मुँशी आयु 48 साल जाति गद्दी मुसलमान निवासी—गद्दीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली [illegible] —वादी

——प्रार्थी

बनाम

[illegible] जिला करौली राजस्थान ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित:— 1. श्री वी एल भोजवाल वकील प्रार्थीगण

[illegible] तहसीलदार सूरौठ अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 18-3-2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सेवामें प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है कि खाता संख्या [illegible] खसरा नम्बर 680 रकबा 0.08 ऐयर चाही, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.10 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हेक्टेयर वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ में स्थित है। जिसमें वादी का 1 / 540 [illegible] है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खाते में सहबन से तथा राजस्व अधिकारी कर्मचारियों की गलती से भूलवश भम्पी पुत्र मुंशी दर्ज हो गया है। जबकि वादी का सही [illegible] नाम [illegible] मुंशी है।

वादी का सही एवम वास्तविक नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र में इब्राहिम पुत्र मुशी है। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार [illegible] मुंशी दर्ज है। और ग्राम पंचायत [illegible] इब्राहिम पुत्र मुंशी दर्ज है।

राजस्व रिकोर्ड में वादी का [illegible] इब्राहिम किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है और किसी को [illegible] हक तलफी भी [illegible]। वादी को राजस्व [illegible] पटवारी हल्का के पास के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:56:32 IST
Reason: SelfAttested

पास गयाँ तो वादी ने राजस्व गलती से राजस्व रिकोर्ड में भम्पी पुत्र मुंशी के स्थान पर इब्राहिम पुत्र मुंशी दर्ज करने का निवेदन किया । तो पटवारी हल्का ने मना कर दिया।

वादी ने [illegible] 0[illegible] को तहसीलदार सूरौठ के यहाँ गया और राजस्व रिकार्ड में [illegible] भम्पी के स्थान पर इब्राहिम दर्ज करने का निवेदन किया तो तहसीलदारर जी सूरौठ ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती घोषण खातेदारी पेश करना आवश्यक हुआ। [illegible] तहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी दि० 18–07–2023 को वाद पत्र के मद नम्बर 6 में वर्णित बात तहसीलदार जी सूरौठ के द्वारा वादी से कहने से वमकाम सरौठ तहसील सूरौठ [illegible] हुयी है। तथा दावा हाजा अंदर [illegible] पेश है।

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती जाकर आराजीयात मुतजिका मद नवर वाद–पत्र खाता संख्या नया 158 व पुराना 138 ख0नं० 680 रकबा 0.08 हेक्टेयर [illegible] व ख0नं० [illegible] हेक्टेयर [illegible] किता 2 कुल रकबा 0.18 हेक्टेयर वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का गलत नाम भम्पी पुत्र मुँशी के स्थान पर इब्राहिम पुत्र मुंशी दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती फरमायी जावे।

[illegible] प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ द्वारा पत्रांक 180 दिनांक 28.03.2024 को जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. [illegible] 20[illegible] से जांच हेतु मौके पर पटवार हल्का लहचोड़ा मय गिरदावरी पहुँचें। मौके पर उपस्थित ग्राम वासियों ने बताया कि इब्राहिम पुत्र मुंशी जाति गद्दी निवासी गद्दीपुरा को ही एक दुसरे नाम भप्पी के नाम से जाना जाता है।

2. [illegible] भप्पी नाम से पुकारा जाता है इस नाम का ग्राम गद्दीपुरा में कोई और व्यक्ति नहीं है।

3. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भी इब्रा[illegible] मुंशी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:56:32 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने [illegible] 2073--76 खाता संख्या 158, वाके ग्राम गद्दीपुरा तहसील सूरौठ, पहचान पत्र इब्राहिम खान, राशनकार्ड इब्राहिम, आधार कार्ड इब्राहिम, जन आधार कार्ड अनवरी नामों पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कहा कि उनवानी मुकदमा न0 212/2023 में जांच हेतु मौके पर पटवार हल्का लहचोडा मय गिरदावरी [illegible] ने बताया कि इब्राहिम पुत्र मुंशी जाति [illegible] एक दूसरे नाम [illegible] के नाम से जाना जाता है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी संवत 2073--76 खाता संख्या 158, वाके ग्राम गद्दीपुरा [illegible] राशनकार्ड इब्राहिम, आधार कार्ड [illegible] है। [illegible] दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जवाब एवं प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से [illegible] पत्र को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। इसलिये प्रार्थी का [illegible] किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजीयात जमाबंदी संवत 2073--76 खाता संख्या 158, वाके ग्राम गददीपुरा तहसील [illegible] इब्राहिम पुत्र मुंशी शुद्ध किया जाता है। इस संबंध में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील [illegible]

[illegible] 18/03/25 [illegible] न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
[illegible] अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:56:32 IST
Reason: SelfAttested